

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
सरकार बनाम ओमप्र काश  
प्रकरण संख्या 518/2016

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील मे  
जारी हुए

06.10.2025

ए.पी.ओ. उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता  
उपस्थित। गवाह पी डब्ल्यू 15 सुगन सिंह ने जरिये वी.सी.  
साक्षी देने हेतु रिक्वेस्ट भेजने पर उसे आज दिनांक हेतु स्लोट  
बुक किया जाकर संबंधित वी.सी. पॉइन्ट जिला न्यायालय  
सीकर में उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। गवाह जरिये  
वी.सी., वी.सी. पॉइन्ट जिला न्यायालय सीकर पर उपस्थित  
आये। जिस पर रिमोट पॉइंट पर सिस्टम ऑफिसर जिला  
न्यायालय सीकर को कॉर्डिनेटर नियुक्त किया गया। इस  
न्यायालय में वी.सी. पॉइन्ट पर श्री मनीष उमरिया को वी.सी.  
हेतु अधिकृत किया गया। गवाह का पहचान पत्र लिया गया।  
वी.सी. सेड्यूल समय के मुताबिक कोर्ट की ऑफिशियल  
आई.डी. पर गवाह से जरिये वेबएक्स वी.सी. समय 3.30  
पी.एम. पर की गई। गवाह के बयान कथनानुसार ए.पी.ओ. व  
अधिवक्ता अभियुक्त तथा मेरे समक्ष लेखबद्ध किये। ए.पी.ओ.,  
अधिवक्ता अभियुक्त तथा मेरे द्वारा उक्त गवाह के बयानों पर  
हस्ताक्षर कर पी.डी.एफ. फॉर्मेट में वास्ते हस्ताक्षर वी.सी.  
पॉइन्ट जिला न्यायालय सीकर को वास्ते गवाह व कॉर्डिनेटर  
के हस्ताक्षर हेतु जरिये मेल प्रेषित किये गये। गवाह के बयान  
बाद हस्ताक्षर पुनः प्राप्त हुए। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया  
तथा वी.सी. कॉर्डिनेटर जिला न्यायालय अजमेर को निर्देशित  
किया गया कि वह उक्त गवाह के मूल बयान तीन दिवस के  
भीतर इस न्यायालय में प्रेषित करावे। गवाह संख्या 17 को  
जरिये गिरफ्तारी वारंट तलब हो। अतः अभियोजन अधिकारी  
उक्त गवाह को अपने स्तर पर तलब करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य  
अभियोजन हेतु दिनांक 14/10/25 को पेश हो।

E-  
A/w  
जारी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
संख्या 2, केकड़ी, अजमेर

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स.02  
केकड़ी, जिला-अजमेर (राज.)